

DNA और फेस मैचिंग ससिस्टम

स्रोत: द हट्टि

आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम (CrPI), 2022 एक वर्ष से अधिक समय पहले संसद द्वारा पारित किया गया था, हालाँकि अधिनियम के प्रावधान अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं, केंद्र देश भर के 1,300 पुलिस स्टेशनों पर **"DNA और फेस मैचिंग"** उपकरण स्थापित करने की तैयारी कर रहा है।

CrPI अधिनियम, 2022 के तहत 'DNA और फेस मैचिंग ससिस्टम':

- **अधिनियम और नयियों का परिचय:**
 - वर्ष 2022 में भारतीय संसद ने CrPI अधिनियम पारित किया जो पुलिस और केंद्रीय जाँच एजेंसियों को गरिफतार व्यक्तियों के भौतिक एवं जैविक नमूनों को इकट्ठा करने, उन्हें संग्रहीत करने तथा विश्लेषण करने का अधिकार देता है, जिसमें रेटिना व आईरिस स्कैन भी शामिल हैं।
 - इस वधायी कदम का उद्देश्य कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाना और आपराधिक पहचान तथा डेटा प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत करना है।
- **अधिनियम और नयियों का कार्यान्वयन:**
 - अधिनियम को लागू करने और माप संग्रह प्रक्रिया के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्थापित करने की ज़िम्मेदारी एक केंद्रीय संगठन **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** को सौंपी गई थी।
 - NCRB ने इन मापों को रिकॉर्ड करने के लिये उचित प्रोटोकॉल पर पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **कार्यान्वयन के लिये उपायों और समतियों का वसितार:**
 - अधिनियम और नयियों में सीधे तौर पर DNA नमूना संग्रह एवं फेस मैचिंग प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं था, लेकिन **NCRB** ने राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा में इन उपायों को लागू करने की योजना पर सहमती व्यक्त की गई।
 - इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने DNA डेटा रिकॉर्ड करने के लिये राज्य पुलिस और केंद्रीय कानून प्रवर्तन प्रतनिधियों को शामिल करते हुए एक डोमेन समिति का गठन किया।
- **अधिनियम से जुड़ी चुनौतियाँ और वविाद:**
 - आलोचकों ने इस कानून को "असंवैधानिक" और गोपनीयता पर अतिक्रमण बताया।
 - वविाद के अतिरिक्त व्यावहारिक चुनौतियाँ भी सामने आईं, जिनमें वभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता के साथ-साथ फंडिंग एवं परिचालन लागत पर चर्चाएँ भी शामिल थीं।
 - इसके अलावा NCRB ने एकत्रित डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिये मज़बूत सुरक्षा उपायों के साथ-साथ **तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक उपयोग के लिये बेहतर उपकरणों एवं प्रणालियों** के महत्त्व पर ज़ोर दिया। यह संदर्भ अधिनियम और उससे जुड़े नयियों की जटिलता एवं महत्त्व को रेखांकित करता है।

DNA और फेस मैचिंग ससिस्टम तकनीक:

- **फेस मैचिंग ससिस्टम:**
 - फेस मैचिंग ससिस्टम एक **एल्गोरिदम-आधारित तकनीक** है जो किसी व्यक्त के चेहरे की विशेषताओं को पहचानकर तथा मैपिंग करके चेहरे का एक **डिजिटल मानचित्र बनाता है**, जिसे बाद में उस डेटाबेस से मलान किया जाता है जिस तक उसकी पहुँच होती है।
 - **ऑटोमेटेड फ़ैसियल रिकिगनशिन् ससिस्टम (AFRS)** में व्यक्त के मलान तथा पहचान के लिये बड़े डेटाबेस (जिसमें लोगों के चेहरों की तस्वीरें व वीडियो होते हैं) का उपयोग किया जाता है।
 - सी.सी.टी.वी. फुटेज से ली गई एक अज्ञात व्यक्त के चेहरे के पैटर्न की तुलना मलान के लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** तकनीक का उपयोग करके मौजूदा डेटाबेस से की जाती है।

- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. किसी व्यक्ति की जीवमतीय पहचान हेतु, अंगुली-छाप क्रमवीक्षण के अलावा नमिनलखिति में से कौन-सा/से प्रयोग में लाया जा सकता है/लाए जा सकते हैं? (2014)

1. परतिारकिा क्रमवीक्षण
2. दृषुटपिटल क्रमवीक्षण
3. वाकु अडुऑऑऑऑ

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/dna-and-face-matching-systems-at-police-stations>

